कर्मचारियों को दीपावली के पहले मिल सकता है वेतन का तोहफा

गुणा-भाग में जुटा वित्त विभाग, सीएम करेंगे अंतिम फैसला

भोपाल। नवदुनिया स्टेट ब्यूरो

कमलनाथ सरकार 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को दीपावली के पहले वेतन का तोहफा दे सकती है। इसके लिए वित्त विभाग में गुणा-भाग शुरू हो गया है। दो नवंबर की जगह 24 या 25 अक्टूबर को वेतन देने की फाइल भी तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ अंतिम फैसला कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली को देखते हुए अक्टूबर का वेतन 24-25 अक्टूबर को देने का फैसला किया है। वहां के वित्त विभाग ने 18 अक्टूबर को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसकी जानकारी लगते ही मप्र के वित्त विभाग ने भी नवंबर की जगह अक्टूबर में ही वेतन देने की तैयारी शुरू कर दी है। एक सप्ताह पहले वेतन देने से सरकार को ब्याज का नुकसान होगा पर कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री कमलनाथ फैसला कर सकते हैं। पहले भी सरकार कई बार ऐसा कर चुकी है।

इधर, पेंशनर्स की भी महंगाई राहत बढ़ाने की फाइल चली

केंद्रीय कर्मचारियों के बाद केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) भी पांच प्रतिशत बढ़ा दिया। इन्हें भी अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवें वेतनमान में 12 की जगह 17% महंगाई राहत मिलेगी। उधर, प्रदेश में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की फाइल वित्त विभाग में चल पड़ी है। हालांकि, बड़ी राशि की दरकार होने से इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ ही करेंगे। प्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में अभी 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र के भत्ता बढ़ाने के बाद सरकार पर भी दीपावली के पहले वृद्धि का निर्णय करने का दबाव है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसो. इसकी मांग भी कर चुकी है। मांग को देखते हुए वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की फाइल चल पड़ी है। हालांकि, प्रदेश की आर्थिक हालत 400 करोड़ रु. सालाना का भार उठाने की नहीं है।

आपकी मासिक आय से तय होती है लोन राशि

घर-फ्लैट, प्लाट खरीदने या कंस्ट्रक्शन/रिनोवेशन के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं। कई बार मकान को बड़ा करने या रिपेयर करने के लिए भी लोन लिया जाता है। हम यहां होम लोन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं।

हर एक व्यक्ति अपने घर का सपना देखता है। घर इंसान की बुनियादी जरूरत है। यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। यह सपना पूरा करने के लिए पहले के जमाने में लोग धन जमा करते थे, कई तरह की स्कीम में डिपॉजिट करते थे। जब पर्याप्त धन जमा हो जाता था तो घर खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब घर खरीदने में सक्षम होने के लिए रुपया जोड़कर वर्षों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आज बैंकों द्वारा आसानी से दिए जा रहे होम लोन के कारण हर कोई घर लेने का सपना पूरा कर सकता है। लोन लेने के बाद लोन राशि का भुगतान समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में किया जाता है। प्रति ईएमआई देय राशि आमतौर पर ऋण अवधि, ब्याज दर, ऋण की राशि आदि पर निर्भर करती है। कम ब्याज दर पर सस्ते होम लोन देने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और बैंक काफी संख्या में मौजूद हैं। पिछले एक दशक में होम लोन की मांग कई गुना बढ़ गई है। जब आप बैंक से लोन लेकर घर, फ्लैट या प्लाट खरीदते हैं तो लोन की राशि खत्म होने तक आपकी प्रॉपर्टी बैंक के अधीन रहती है।

होम लोन के प्रकार

1. गृह निर्माण ऋणः यह लोन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने घर का निर्माण खुद के मालिकाना हक के भूखंड पर करना चाहता है।

2. घर खरीदने के लिए ऋणः घर खरीदने के लिए बैंकों या वित्तीय कंपनियों से उधार ली गई राशि को 'होम परचेस लोन' कहा जाता है। इस प्रकार के लोन में ब्याज की दरें फ्लोटिंग, हाइब्रिड या फिक्स हो सकती हैं। लगभग सभी बैंकों से आपके घर के वर्तमान बाजार मूल्य की करीब 90 फीसदी राशि लोन के रूप में मिल सकती है।

3. गृह विस्तार/सुधार ऋणः आपके पास पहले से एक घर है, लेकिन आप उसे बढ़ाना चाहते हैं अथवा अतिरिक्त निर्माण करना चाहते हैं और आपके पास धन नहीं है तो इसके लिए भी आपको बैंक से लोन मिलेगा। इसके अलावा घर की पेंटिंग, बोरवेल खुदाई, बिजली के तारों और अन्य प्रकार की मरम्मत के लिए भी बैंक रुपया उधार देते हैं।

4. एनआरआई होम लोनः यह ऋण बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा उन एनआरआई व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में घर लेना चाहते हैं। हालांकि, प्रक्रिया थोड़ी जटिल रहती है।

5. टॉप-अप लोनः व्यक्तिगत खर्च पूरे करने या नए घर के लिए सामान/चीजें खरीदने के लिए होम लोन पर 'टॉप-अप लो' ले सकते हैं। टॉप-अप लोन पाने के लिए होम लोन का होना अनिवार्य है।

6. होम लोन बैलेंस ट्रांसफरः जब कोई अपना होम लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहता है तो इस विकल्प का लाभ उठा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे- कम ब्याज दर, बेहतर सुविधाएं आदि।

7. आवासीय भूखंड खरीदः यह ऋण उन लोगों के लिए है जो आवासीय भूखंड खरीदना चाहते हैं। साथ ही निकट भविष्य में इस पर घर बनाना चाहते हैं। इस लोन में प्लॉट के बाजार मूल्य की राशि का करीब 70 फीसदी लोन के रूप में मिल सकता है।